रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2002 REGISTERED No. DL—33001/2002

D/R/2

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 22, 2002 (आषाढ़ 1, 1924)
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 22, 2002 (ASADHA 1, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 2002

आवास वित्त कंपनी (रा. आ. बैंक) निर्देश, 2001

सं. एनएचबी. एचएफसी. डीआईआर. 2/सीएमडी/2002--राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धाराओं 30, 30ए, 31 एवं 33 में प्रदत्त शक्तियों तथा इस दिशा में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों के प्रयोग में राष्ट्रीय आवास बैंक इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा. आ. बैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद (1) को निम्नलिखित द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रतिस्थापित किया जाएगा :--

"1(क) 24 अप्रैल, 2002 से एवं इसके बाद कोई भी आवास वित्त कंपनी साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक वार्षिक ब्याज दर पर किसी सार्वजनिक निक्षेप को आमंत्रित, स्वीकार या उसका नवीनीकरण नहीं करेगी। ब्याज का भुगतान चक्रवृद्धि आधार पर किया जा सकता है, जो एक माह से कम अवधि का नहीं होगा।

(ख) कोई भी आवास वित्त कंपनी किसी भी दलाल को उसके द्वारा या उसके माध्यम से एकत्र किए गए सार्वजनिक निक्षेपों पर,

(i) इस प्रकार एकत्र की गई जमा राशि से दो प्रतिशत अधिक की दलाली, कमीशन, प्रोत्साहन या अन्य लाभ, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, का भुगतान नहीं करेगी।

(ii) उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए संबंधित वाउचरों/बिलों के आधार पर इस प्रकार एकत्र की गई जमा राशि के 0.5 प्रतिशत से अधिक प्रतिपूर्ति के रूप में व्यय नहीं करेगी।

शेखर अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

NATIONAL HOUSING BANK

(Wholly owned by the Reserve Bank of India)

New Delhi

THE HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 2001

Notification No. NHB.HFC.DIR.2/CMD/2002 dated 24th April, 2002

In exercise of the powers conferred by Sections 30, 30A, 31 and 33 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that sub-paragraph (1) of Paragraph 11 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall, with immediate effect be substituted by the following, namely:-

"1(a) On and from 24th April, 2002, no housing finance company shall invite or accept or renew any public deposit on a rate of interest exceeding twelve and a half per cent per annum. Interest may be paid or compounded at rests which shall not be shorter than monthly rests.

(b) No housing finance company shall pay to any broker on public deposit collected by or through him,

(i) brokerage, commission, incentive or any other benefit by whatever name called in excess of two per cent of the deposit so collected;

(ii) expenses by way of reimbursement on the basis or relative vouchers/bills produced by him, in excess of 0.5% of the deposit so collected."

S. Agarwal

(Shekhar Agarwal)

Chairman and Managing Director

published

with Dir-2.

National Housing Bank
(Wholly owned by Reserve Bank of India)

The Housing Finance Companies(NHB) Directions, 2001
Corrigendum to Notification No. NHB.HFC.DIR.1/CMD/2001[Part III-Section4]

S.No.	Page No.	Reference	as of print	as of correction
1	6437	paragraph 26(2)(1)	" "	*"Weighted risk assets- On balance sheet items % Weight"*
2	6437	paragraph 26(4)(g)	paragraph 26(4)(g)	paragraph 26(4)(h)
3	6439	paragraph 28(1)(ii)(a)	(a) the shares of another company exceeding fifteen percent of its owned fund;	(a) the shares of another company exceeding fifteen percent of its owned fund; and
4	6440	paragraph 30(vii)(b)	(b) total borrowings of the housing finance company i.e. deposits inclusive of public deposits together with the amounts referred to in sub-clauses (iii) to (vii) of sub-section (bb) of Section 45 I of the Reserve Bank of India Act 1934 and loans or other assistance from the NHB are within the limit prescribed in these Directions;	(b) total borrowings of the housing finance company i.e. deposits inclusive of public deposits together with the amounts referred to in sub-clauses (iii) to (vii) of sub-section (bb) of Section 45 I of the Reserve Bank of India Act, 1934 and loans or other assistance from the National Housing Bank are within the limit prescribed in these Directions,
5	6282	पैराग्राफ 28(1)(i)(क)	"(क) एकल उधारकर्ता को अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक उधार नहीं देगी,"	"(क) एकल उधारकर्ता को अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक उधार नहीं देगी, और"
6	6282	पैराग्राफ 28(1)(ii)(क)	"(क) किसी अन्य कंपनी के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक,"	"(क) किसी अन्य कंपनी के शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक, और"
7	6282	पैराग्राफ 28(1)	पैराग्राफ 28(1)(3)	पैराग्राफ 28(1)(iii)

8	6282	पैराग्राफ 28(1)(iii)(क)	"(क) एक एकल पक्ष को अपनी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक"	"(क) एक एकल पक्ष को अपनी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक, और"
9	6283	पैराग्राफ 30(vii)(ख)	"(ख) आवास वित्त कंपनी के कुल ऋण अर्थात् सार्वजनिक निक्षेप सहित निक्षेप तथा भा०रि०बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई की उपधारा (ख ख) के उप खंड (iii) से(vii) में उल्लिखित राशि या रा०आ० बैंक से प्राप्त ऋण या अन्य सहायता राशि इन निर्देशों में निर्दिष्ट सीमा के भीतर है;	"(ख) आवास वित्त कंपनी के कुल ऋण अर्थात् सार्वजनिक निक्षेप सहित निक्षेप तथा भा०रि०बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई की उपधारा (ख ख) के उप खंड (iii) से(vii) में उल्लिखित राशि या राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त ऋण या अन्य सहायता राशि इन निर्देशों में निर्दिष्ट सीमा के भीतर है;

(R. Bhalla)
Deputy General Manager